न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

सक्षम– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–348–तीन / 2015 विरूद्ध आदेश, दिनाक–12–6–2013 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस, जिला सतना के प्रकरण कमांक–75 / बी–103 / 2012–2013

राजेश सिंह तनय श्री राघवेन्द्र सिंह उम्र–39 वर्ष,
निवासी ग्राम– कंचनपुर पोस्ट बम्हरौला (कोठी)
तहसील रघुराज नगर जिला–सतना मध्य प्रदेश ।

..........आवेदक

विरूद्ध

1 सागर मोगिया तनय श्री जितेन्द्र पाल मोगिया
निवासी पुराना पावर हाउस चौक के पास सतना
तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.

2 मध्य प्रदेश शासन

..........अनावेदक

श्री एस0 के0 वाजपेई, अभिभाषक आवेदक
श्री अरविन्द पाण्डे एवं श्री आर0एस0सेंगर अनावेदक अभि0

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9.2.16 को पारित)

यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 (4) के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस, जिला सतना के द्वारा उनके प्रकरण .कमांक–75 / बी–103 / 2012–2013 में पारित आदेश दिनांक 12–6–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा अनावेदक के पक्ष में (जिन्हें सशर्त विक्रय पत्र में प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) दिनांक–06.09.2010 को मौजा महादेवा तहसील रघुराजनगर जिला सतना की आराजी नम्बर 105अ/1/16 एवं 105अ/1/15/4 कुल किता 2 रकवा 0.09 एकड़ एवं उक्त आराजी में स्थित फैक्ट्री निर्माण एरिया एवं सम्पूर्ण उपकरण का सशर्त विक्रय पत्र राशि 18,00,000/–(अठारह लाख रूपये) में संपादित (समक्ष नोटरी अभिभाषक श्री आर. यू. सिद्धीकी) हुआ । इस सशर्त विक्रय पत्र पर न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, सतना के प्र0क्रमांक–75/बी–103/2012–2013 मुद्रांक अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत कमी मुद्रांक शुल्क राशि रूपये 2,62,394/– तथा शास्ति रूपये 1000/–आदेश दिनांक 12–6–13 के माध्यम से अधिरोपित की गयी । यह अधिरोपित राशि चालान क्रमांक–94 दिनांक–13.06.2013 को स्टेट बैंक में जमा करने पर उक्त सशर्त विक्रय मुद्रांकित किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है ।

3/ प्रकरण में उभय पक्ष अभिभाषकों के तर्क श्रवण किए गये । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया गया कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में यह स्पष्ट है कि कोई भी विक्रय तभी पूर्ण होता है एवं विक्रय पत्र की श्रेणी में आता है जब सम्बन्धित संपत्ति की पूरी कीमत संपत्ति अंतरणकर्ता को प्राप्त हो चुकी हो, तथा 100 रूपये से अधिक मूल्य की संपत्ति को मुद्रांकित करा दिया गया हो तथा संपत्ति का कब्जा क्रेता को सौंप दिया गया हो । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सशर्त विक्रय पत्र में वर्णित राशि का भुगतान प्राप्त किया जाना अभी शेष है तथा सशर्त विक्रय पत्र में वर्णित संपत्ति में विक्रेता निगराकार स्वयं 20 प्रतिशत भाग का भागीदार है । यह भी कहा गया कि संपादित दस्तावेज की कंडिका क्रमांक–6 में भी यह स्पष्टतः वर्णित किया गया है कि सम्पूर्ण भुगतान हो जाने के पश्चात ही विक्रय पत्र संपादित कराया जावेगा । अनावेदक द्वारा शर्तो के अनुसार भुगतान नहीं किया गया इस कारण विक्रयपत्र निष्पादित नहीं कराया गया इस प्रकार विवादित दस्तावेज मात्र अनुबंध पत्र की श्रेणी में आता है । आवेदक अभि0 द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में मनमाने तरीके से आवेदक को अनावेदक द्वारा 16,10,000/–रूपये का भुगतान करने का उल्लेख कर दिया गया, जवकि उक्त राशि आवेदक को प्राप्त ही नहीं हुई है आवेदक को मात्र 10 से 12 लाख रूपये का भुगतान बैंक की किस्तें एवं बिजली बिल में किया गया है इसके अलावा कोई भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है । आवेदक निगराकार द्वारा मुख्य रूप से इस बात पर बार–बार जोर दिया गया है कि विवादित दस्तावेज विक्रय

पत्र नहीं है वह मात्र एक अनुबंध पत्र है । अनावेदक द्वारा निगराकार को विक्रय पत्र संपादित कराने हेतु पूरी तय शुदा रकम नहीं दी गयी जबकि निगरानी कर्ता 20 प्रतिशत का भागीदार था ।

4/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी कहा गया कि सशर्त विक्रय पत्र में अंकित शर्तो के कम में अनावेदक द्वारा 5 लाख रूपये अग्रिम में एडवांस के रूप में दिए गये थे तथा शेष बैंक ऋण की जो राशि थी वह भी अनावेदक द्वारा संबंधित बैंक में जमा कर उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) प्राप्त की गयी जो प्रकरण के संलग्न है । इस प्रकार सशर्त विक्रय पत्र में अंकित शर्तो के पालन में सम्पूर्ण राशि उनके द्वारा भुगतान किया जाकर जब आवेदक से विक्रय पत्र निष्पादित करने की बात कही गयी तो उसके द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित कराने में अरूचि दिखाई गयी । तब अनावेदक द्वारा सशर्त विक्रय पत्र में अंकित तथ्यों के कम में कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेते हुए विक्रय पत्र को मुद्रांकित कराया गया । आवेदक अभिभाषक द्वारा यह भी कहा गया कि जहां तक 20 प्रतिशत राशि यानी 1,90,000/– रूपये के भुगतान की बात है तो वह राशि तो हिस्सेदारी से संबंधित है, जिसका इस विक्रीत संपत्ति के मालिकाना हक एवं विक्रय पत्र के निष्पादन से कोई संबंध नहीं है । क्योंकि विक्रय पत्र में अंकित तथ्यों से भी यह स्पष्ट है कि यह राशि कम्पनी के लाभांश में हिस्सेदारी एवं सहभागिता से संबंधित है । अनावेदक अभिभाषक द्वारा यह भी कहा गया कि सशर्त विक्रय पत्र में अंकित तथ्यों से भी यह स्पष्ट प्रमाणित है कि आवेदक सिर्फ 20 प्रतिशत लाभांश में सहभागी रहेगा तथा विकित संपत्ति एवं कारखाने का सम्पूर्ण मालिक एवं आधिपत्यधारी अनावेदक होगा जिसे यह भी स्वतंत्रता दी गयी कि वह कम्पनी का नाम बदले, मोनो बदले, तथा वह अपने अनुसार कम्पनी एवं सम्पत्ति का उपयोग करने के लिए भी स्वतंत्र होगा । इस प्रकार उनके द्वारा यह कहा गया कि सशर्त विक्रय पत्र में अंकित शर्तो के अनुसार सम्पूर्ण तयशुदा राशि का भुगतान कराये जाने के बाद ही विक्रय पत्र मुद्रांकित कराया गया जाकर नामांतरण कराया गया है जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है। यह भी बताया गया कि आवेदक द्वारा अनावेदक सागर मोगिया को सशर्त विक्रय पत्र संपादित करते समय ही कब्जा एवं सम्पूर्ण अधिपत्य सौंप दिया गया था । सिर्फ सम्पूर्ण भुगतान (लाभांश में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी को छोड़कर वह भी तब जब कारखाना चालू हो), बैंक आदि का लोन एवं अन्य संस्थाओं की देनदारी होने पर विक्रय पत्र संपादित उप पंजीयक कार्यालय में होना रह गया था । इसमें भी यह शर्त एवं स्वीकृति विक्रेता की थी कि यदि सम्पूर्ण बैंक एवं अन्य संस्थाओं की देनदारी पूर्ण होने पर यदि वह विक्रय पत्र संपादित नहीं करता है, तो कानून एवं न्यायिक प्रक्रिया

के माध्यम से विक्रीत संपत्ति पर नामांतरण एवं विक्रय पत्र क्रेता संपादित कराने का अधिकारी होगा । ऐसी स्थिति में अनावेदक द्वारा वही किया गया है जो सशर्त विक्रय पत्र में शर्ते स्वीकृत थी, जिसके आधार पर विक्रय पत्र इम्पाउण्ड (रजिस्टर्ड पंजीबद्ध) कराया गया है जिसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं है । अनावेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह भी बताया गया कि 20 प्रतिशत हिस्सेदारी कारखाने के चालू होने पर उसके लाभांश में थी जबकि कारखाना वर्तमान में क्रय दिनांक से चालू नहीं है ऐसी स्थिति में जो 20 प्रतिशत राशि बकाया होने की बात कही जा रही है उसका विक्रित संपत्ति के स्वामित्व एवं आधिपत्य से कोई संबंध नहीं है, वह तो सिर्फ कारखाने की आय में से लाभांश राशि प्राप्त करने के संबंध में है । तो इस संबंध में यह मान्य तथ्य है कि जब कारखाना चालू होगा और लाभ हानि जो भी होगी तदनुसार भुगतान किया जावेगा । इसके अतिरिक्त आवेदक जब भी अपनी हिस्सेदारी वापिस लेगा उस समय उसकी हिस्सेदारी जो 20 प्रतिशत है की राशि वापिसी की मांग कर सकता है ।

अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्याय सिद्धांत भी प्रस्तुत किए गये, जो विश्लेषण में नीचे अंकित है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा सशर्त विक्रय पत्र में अंकित शर्तो के पूर्ण हो जाने पर अनावेदक के नामांतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक–24.11.2012 पर से नामांतरण की कार्यवाही प्रकरण क्रमांक– 86/अ–6/12–13 पर दर्ज कर प्रारंभ की गयी । प्रकरण प्रारंभ होने के दिनांक–24.11.2012 से लगातार अनावेदक (जो इस प्रकरण में आवेदक है) की तलबी एवं उपस्थिति के लिए नियत होता रहा । दिनांक–3.4.2013 के आदेशनुसार आवेदक की उपस्थित के लिए दैनिक नव स्वदेश समाचार पत्र दिनांक–17.04.2013 में उदघोषणा का प्रकाशन कराया गया । प्रकरण में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त न होने, सशर्त विक्रय पत्र में अंकित शर्ते पूरी होने के संबंध में बैंक से सम्पूर्ण ऋण अदायगी के संबंध में अनापत्ति (एन0ओ0सी0 नोड्यूज प्रमाण पत्र) प्राप्त करने एवं विद्युत विभाग से विद्युत देयकों की राशि जमा होने संबंधी रसीदें प्राप्त कर, पूर्णतः सशर्त विक्रय पत्र में अंकित शर्ते पूर्ण होने की संतुष्टि करने पर, तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक–04.06.2013 से अपंजीकृत सर्शत विक्रय पत्र को जिला पंजीयक/कलेक्टर आफ स्टाम्प के पास विधिवत पंजीकृत करने हेतु भेजा गया । जिला पंजीयक/कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा विधिवत प्रकरण क्रमांक–75/बी–103/2012–2013 पंजीबद्ध कर अपने आदेश दिनांक–12.6.2013 से

कमी मुद्रांक शुल्क राशि रूपये 2,62,394 / –एवं 1000 / – अर्थदण्ड कुल राशि रूपये 2,63,394 / –रूपये मुद्रांक अधिनियम की धारा 40 के तहत जमा कराये जाने के आदेश दिए गये जो चालान कमांक–94 दिनांक–13 जून 2013 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया सतना में जमा किए जाने पर विधिवत सशर्त विकय पत्र को विधिवत मुद्रांकित किया गया । उक्त संबंध में निम्न न्याय सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गये हैः 1984 रा.नि. 27 (1) सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 धारा 54–विकय के तत्व– विकय पूर्ण करने के लिए केवल तीन तत्व हैं (एक) एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को स्वामित्व अंतरित कर दिया जाए, (दो) मूल्य दे दिया गया हो या देने का इकरार कर दिया गया हो, (तीन) दोनों पक्षकार संविदा करने की क्षमता रखते हों ।

उक्त के अतिरिक्त (सु.कोर्ट मान.न्यायाधीश टी0एस0 ठाकुर एवं एफ0एम0 इब्राहिम कलीफुल्ला) ने (अहमद साहब वि सैयद स्माकइल) में साक्ष्य अधिनियम, धाराएँ 17 एवं 58––कार्यवाहियों में पक्षकार की अभिवचनों अथवा मौखिक स्वीकृति–– पक्षकारों के लिए बाध्यकारी है––किसी और संतुष्टि की जरूरत नहीं होती ।

उपरोक्त न्यायसिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में यह तथ्य स्वीकृत तथ्य है कि सशर्त विकय पत्र में अंकित शर्ते पूरी तरह से दोनों पक्षों को स्वीकार है एवं जिनकी पूर्ति भी अनावेदक द्वारा की गयी है जो अभिलेख से प्रमाणित है । इस संबंध में निम्न न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किए गये है कि–संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1982–धारा, 54––रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908–धारा 17–विकय विलेख के रजिस्ट्रीकरण पर विकय पूर्ण हो जाता है––प्रतिफल का पूर्ण संदाय आवश्यक नहीं ।

विकय पूर्ण होने के लिए कीमत का संदाय आवश्यक रूप से अनिवार्य नहीं है। यदि आशय है कि संपत्ति अंतरण रजिस्ट्रीकरण पर संक्रांत होना चाहिए, जैसे ही विलेख रजिस्ट्रीकृत हो गया हो विकय पूर्ण हो जाता है भले ही विकय कीमत का संदाय किया गया हो अथवा नहीं । ए आई आर 1961 म.प्र. 176 अवलंबित । ए आई आर 1999 एस.सी. 1441 अनुसरित । ऐसी स्थिति में सशर्त विकय पत्र में अंकित शर्ते दोनो पक्षों को स्वीकार है वहीं आधिपत्य एवं कब्जा भी स्वीकार है जिसके संबंध में कोई विवाद नहीं है । प्रकरण के सम्पूर्ण परिशीलन से मात्र यही प्रकट हो रहा है कि 1,90,000 / –रूपये शेष होने के आधार पर विवाद का उदय हुआ।

6 / उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट हो रहा है कि सशर्त विकय पत्र में अंकित संपत्ति का विकय सौदा 18,00,000 / – रूपये में होना तय हुआ

जिसमें अंकित शर्तों के अनुक्रम में आवेदक को सम्पूर्ण राशि का भुगतान किया जा चुका है जिसकी पुष्टि इस बात से हो रही है कि "आवेदक द्वारा 4,00,000/—रूपये बैक में ऋण खाते में जमा एवं 100000/— विद्युत देयक के सशर्त विक्रय पत्र संपादन के समय ही जमा कराये जाकर सशर्त विक्रय पत्र की एडवांस राशि के रूप में प्राप्त किए जाना स्वीकार किया गया जिसका उल्लेख सशर्त विक्रय पत्र दिनांक—06.09.2010 की कंडिका 2 में अंकित होकर स्वीकृत तथ्य है । इसी प्रकार यूनियन बैंक आफ इंडिया शाखा कोठी के ऋण खाता क्रमांक—2521 एवं सी.सी अकाउण्ट क्रमांक—124 में जो सशर्त विक्रय पत्र के समय राशि रूपये 10,72,000/—शेष थी का सम्पूर्ण भुगतान आनावेदक द्वारा किया जाकर बैक से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एन0ओ0सी0 (नोड्यूज) दिनांक—16.11.2012 प्राप्त किया गया । इस प्रकार सशर्त विक्रय पत्र के बिन्दु 1 में अंकित शर्त का पालन किया जाना अभिलेखीय आधार पर प्रमाणित हो रहा है । सशर्त विक्रय पत्र की कंडिका क्रमांक—3 में यह अंकित है कि शेष राशि में 20 प्रतिशत राशि प्रथम पक्ष यानी आवेदक द्वारा द्वितीय पक्ष यानी अनावेदक को कारखाने को चलाने के लिए अपनी सहभागिता स्थापित करने के लिए दी जा रही है जिसमें आवेदक प्रथम पक्ष की लाभ हानि में 20 प्रतिशत की भागीदारी होगी । यानी कुल तयसुदा राशि 1800000/— में से एडवांस के रूप में प्राप्त राशि 500000/— रूपये, जिसका उल्लेख सशर्त विक्रय पत्र की कंडिका 2 में किया गया है, कम करने पर शेष राशि रूपये 1300000/— का 20 प्रतिशत राशि सशर्त विक्रय पत्र के अनुसार 2,60,000/—रूपये होती है । कंडिका क्रमांक—4 में अंकित किया गया है, कि उक्त राशि यानी कंडिका 3 में अंकित राशि का संयोजन होने पर प्रथम पक्ष का 1,90,000/— शेष बचता है । इस प्रकार यह भी सिद्ध है कि अंतर की राशि भुगतान हो चुकी है । शेष बची राशि जो सशर्त विक्रय पत्र की कंडिका 3 में अंकित है, कारखाना सुचारू रूप से संचालित हो जाने के बाद द्वितीय पक्ष यानी अनावेदक प्रथम पक्ष को भुगतान कर देगा । इस प्रकार सम्पूर्ण स्वीकृत तथ्य हैं, जो सशर्त विक्रय पत्र में अंकित है । उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि अनावेदक यानी द्वितीय पक्ष द्वारा सशर्त विक्रय पत्र में अंकित सम्पूर्ण शर्ते पूर्ण की जा रही हैं । ऐसी स्थिति में आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्को में कही गयी सम्पूर्ण बातों की पूर्ति होना अभिलेखीय आधार पर स्पष्ट प्रदर्शित है । इस प्रकार आवेदक प्रथम पक्ष का यह कहना कि सशर्त विक्रय पत्र में अंकित शर्तो के अनुसार 190000/—रूपये शेष होने से सशर्त विक्रय पूर्ण नहीं है स्वीकार योग्य नहीं है । अतः सशर्त विक्रय पत्र को इम्पाउण्ड कराया जाकर मुद्रांकित और पंजीकृत कराने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है ।

तहसीलदार के न्यायालयीन आदेश के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि कारखाना वर्तमान में बंद है, चालू हालात में नहीं है । ऐसी स्थिति में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी की राशि शेष होने की बात भी स्वीकार्य तथ्य नहीं है । यह राशि विक्रय पत्र की शर्त के अनुसार प्रथम पक्ष द्वारा कारखाना चलाने एवं उसमें से 20 प्रतिशत लाभ हानि के रूप में वहन करने की शर्त पर दी जानी थी, जिसे न देने के संबंध में भी द्वितीय पक्ष यानी अनावेदक द्वारा कोई नकारात्मक तथ्य प्रकट किया हो, ऐसा अभिलेख से प्रदर्शित नहीं हो रहा है । और यह भी प्रदर्शित नहीं हो रहा है कि आवेदक द्वारा उक्त प्रदर्शित राशि जो सहभागिता के रूप में आवेदक प्रथम पक्ष द्वारा कारखाना चलाने हेतु छोड़ी गयी है, उसकी मांग की गयी हो, वहीं यह तथ्य भी प्रकट हो रहा है, कि सहभागिता लाभ एवं हानि दोनों में ही की गयी है । यदि प्रथम पक्ष सहभागिता से हटता है, तो प्रथम पक्ष यानी आवेदक को उक्त राशि को वसूल किए जाने हेतु पृथक से कार्यवाही करने की अधिकारिता कारखाना बंद होने की स्थिति में हुए लाभ एवं हानि की संगणना के आधार पर ही प्राप्त है । वह भी तब जब आवेदक उसमें से अपनी 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी वापिस प्राप्त करेगा । ऐसी स्थिति में हिस्सेदारी के रूप में छोड़ी गई राशि के बकाया होने के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि राशि बकाया है, अतः सशर्त विक्रय पत्र के आधार पर की गयी सम्पूर्ण कार्यवाहियां विधिक एवं सहज न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होने से स्थिर रखी जाने योग्य है ।

इसके अतिरिक्त आवेदक का यह कहना कि उसे विक्रय पत्र की इम्पाउंडिंग के पूर्व पक्ष समर्थन का अवसर नहीं मिला, भी सही नहीं है । आवेदक को तहसीलदार द्वारा, पूर्व में लिखे जा चुके अनुसार, पक्ष समर्थन हेतु दिनांक 24–11–12 से 3–4–13 के बीच पर्याप्त अवसर दिया गया था, समाचार पत्र में दिनांक 17–4–13 को प्रकाशन भी हुआ, तथा तदुपरान्त प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स को इम्पाउंडिंग हेतु भेजा गया था । इस सबके उपरान्त कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स, जिनका मुख्य दायित्व स्टाम्प ड्यूटी आदि के माध्यम से शासकीय राजस्व सुरक्षित करना है, द्वारा प्रकरण में आगामी कार्यवाही करने में, विशेषकर ऊपर वर्णित बिन्दुओं और विवेचना के प्रकाश में, कोई गलती नहीं की गई । अतः आवेदक का यह कहना कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स के आक्षेपित आदेश के पूर्व उन्हें पक्ष समर्थन का अवसर नहीं मिला, मान्य किये जाने योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि कलेक्टर आफ स्टाम्पस, जिला सतना का आदेश दिनांक 12–6–13 पूर्णतः स्पष्ट एवं विस्तृत तथा बोलता हुआ विधि अनुकूल आदेश है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की

आवश्यकता नहीं है । अतः इस आदेश को स्थिर रखा जाता है । इसके साथ यह निगरानी प्रकरण अस्वीकार किया जाकर राजस्व मण्डल से समाप्त किया जाता है। आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख वापिस किया जावे । प्रकरण दा0 रिकार्ड हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल म0प्र0
ग्वालियर